

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,  
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 21 अप्रैल, 2025

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:- 2007 वेतनमान संशोधन के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पद-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान - के संबंध में।**

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 तथा अनुलग्नक-II (ख) जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है, का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि 2007 वेतनमान अपनाने वाले सीपीएसई के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से संशोधित कर 226.5% कर दिया गया है।

2. महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 226.5% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की अनुमति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

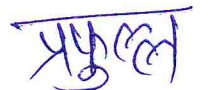
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II, शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।



(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार